राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2020 जयपुर, दिनांक : 29.04.2020 30

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.03.2020 के द्वारा किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करने एवं मुख्यालय नहीं छोडने के निर्देश प्रदान किये गये थे। राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि विभाग के अधीन पदस्थापित अधिकारी, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय छोडकर अपने घर या अन्य स्थानों पर चले जाते है। जिससे कोविड–19 के संक्रमण फैलने की प्रबल आंशका है।

अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि विभाग के अधीन पदस्थापित अधिकारी, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडे। अवहेलना की स्थिति में संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

30/04/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
6. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
10. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
11. निजी /रक्षित पत्रावली

30.4.2020
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव